

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *200
20 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का विनिर्माण

*200. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री रवि किशन:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या सरकार का देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री और उत्पादन में शामिल कुछ कंपनियों को भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम-11) स्कीम के तहत 1,000 करोड़ रुपये संवितरित करने का विचार है; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को कुछ इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं द्वारा सरकार की फेम स्कीम के तहत सब्सिडी के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
- (ङ) फेम स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी गति के क्या कारण हैं; और
- (च) इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की लागत को आंतरिक दहन इंजनों के बराबर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री
(डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय)

(क) से (च) : विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

"इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का विनिर्माण" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 20.12.2022 को उत्तर के लिए नियत श्री सुधीर गुप्ता और श्री रवि किशन के तारांकित प्रश्न सं. *200 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): भारी उद्योग मंत्रालय देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया), चरण-॥ नामक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण-॥ को 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस चरण में 10 लाख ई-दुपहिया, 5 लाख ई-तिपहिया, 55,000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 7090 ई-बसों के लिए सब्सिडी के माध्यम से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण हेतु सहायता देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 09 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के 64 मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को पंजीकृत किया गया है और फेम इंडिया, चरण-॥ के अंतर्गत 7.47 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री हुई है।

(ख): फेम इंडिया स्कीम, चरण-॥ के अंतर्गत उपभोक्ताओं (क्रेताओं/अंत प्रयोक्ताओं) को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में मांग प्रोत्साहन/सब्सिडी दी जाती है ताकि इसे व्यापक रूप से अपनाया जा सके जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत कुल बजटीय सहायता 10,000 करोड़ रुपये है।

(ग): जी, हां। मंत्रालय को कुछ इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं द्वारा सरकार की फेम इंडिया स्कीम, चरण-॥ के अंतर्गत सब्सिडी के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका ब्यौरा **संलग्नक** में है। ये शिकायतें मुख्य रूप से फेम इंडिया स्कीम, चरण-॥ के अंतर्गत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) विषयक दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित हैं।

(घ): शिकायत के सभी मामलों को पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण एजेंसियों को भेजा गया है। दो ओईएम के संबंध में रिपोर्टों की जांच के बाद, इन दो ओईएम के मॉडलों को फेम स्कीम से निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उनके लंबित दावों के प्रसंस्करण को तब तक के लिए रोक दिया गया है जब तक कि वे पीएमपी समय-सीमा के अनुपालन को दर्शाने संबंधी पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते।

(ङ): फेम इंडिया स्कीम, चरण-॥ मांग-आधारित है। यह स्कीम इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण की लागत को कम करके ऐसे वाहनों की मांग उत्पन्न करने में सहयोगी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग से फेम इंडिया स्कीम के कार्यान्वयन की गति भी बढ़ती है।

इस स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है जो नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है:

क्र.सं.	वर्ष	ईवी की बिक्री (संख्या)
1	2019-20	19,100
2	2020-21	48,179
3	2021-22	2,37,811
4	2022-23*	4,42,901

*(09 दिसंबर 2022 तक)

(च): महोदय, सरकार ने विद्युत/हाइब्रिड वाहनों की लागत को आंतरिक दहन इंजनों के बराबर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. 11 जून, 2021 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की लागत सीमा को 20% से बढ़ाकर 40% करके मांग प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे कर दिया गया है।
- ii. सरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी जिससे बैटरी की कीमतों में गिरावट आएगी जिसके परिणामस्वरूप देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी। साथ ही, 23 सितंबर, 2021 को अधिसूचित ऑटोमोबिल और ऑटो घटक संबंधी पीएलआई स्कीम में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान है।
- iii. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- iv. इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचना जारी कर बैटरी-चालित वाहनों को यात्रियों अथवा सामान ले जाने के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट दी है।

"इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का विनिर्माण" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 20.12.2022 को उत्तर के लिए नियत श्री सुधीर गुप्ता और श्री रवि किशन के तारांकित प्रश्न सं. *200 के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

आरोपित मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) की सूची

1. हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2. ओकिनावा ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3. बेनलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
4. ओकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड
5. जितेंद्र न्यू ईवी टेक प्राइवेट लिमिटेड
6. ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रा. लिमिटेड (पूर्ववर्ती एम्पीयर व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड)
7. रिवोल्ट इंटेलीकार्प प्रा. लिमिटेड
8. काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड
9. एवन साइकिल्स लिमिटेड
10. लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज
11. ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स प्राइवेट लिमिटेड
12. विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
